भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (विदेशी पुनर्बीमाकर्ता शाखाओं और लायड्स इंडिया का पंजीकरण और परिचालन) विनियम, 2024 में प्रस्तावित संशोधनों संबंधी एक्सपोज़र प्रारूप

Exposure Draft on proposed amendments to the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Registration and Operations of Foreign Reinsurers Branches and Lloyd's India) Regulations, 2024

परामर्श-पत्र / Consultation Paper

1. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई), सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा विधियों का संशोधन) अधिनियम, 2025 (एसबीएसआर अधिनियम) के द्वारा लागू किये गये परिवर्तनों के आलोक में भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (विदेशी पुनर्बीमाकर्ता शाखाओं और लायड्स इंडिया का पंजीकरण और परिचालन) विनियम, 2024 में संशोधन करने का प्रस्ताव करता है।

प्रस्तावित संशोधनों के उद्देश्य:

2. प्रस्तावित संशोधन बीमा अधिनियम, 1938 के संशोधित उपबंधों के साथ वर्तमान विनियामक ढाँचे का सुयोजन करने; भारत में पुनर्बीमा बाजार की सुव्यवस्थित वृद्धि को प्रोत्साहन देने; भारत में पुनर्बीमा परिचालनों से संबंधित वर्तमान कानूनी और विनियामक ढाँचे को मजबूत और सुमेलित करने की अपेक्षा करते हैं।

3. विनियमों में मुख्य संशोधन निम्नानुसार हैं:

3.1 परिभाषाएँ और पात्रता मानदंड: संशोधन `आवेदक' से संबंधित परिभाषाओं और पंजीकरण के लिए उनकी पात्रता की शर्तों में प्रस्तावित हैं।

प्रस्तावित ये संशोधन सुसंगति को सुनिश्चित करने और व्याख्यात्मक अस्पष्टताओं को दूर करने की अपेक्षा करते हैं।

3.2 पंजीकरण ढाँचा: प्रस्तावित संशोधनों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(क) आवेदक की निवल स्वाधिकृत निधियों के होने की अपेक्षा को पाँच हजार करोड़ रुपये से घटाकर एक हजार करोड़ करना।

(ख) विनियमों के संबंधित उपबंधों में विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाओं (एफआरबी) और लायड्स संस्थाओं के पंजीकरण हेतु फार्म संख्याओं के लिए संदर्भ का निवेशन।

(ग) विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाओं (एफआरबी) के लिए पंजीकरण हेतु अनुसूची II के अंतर्गत फार्म आईआरडीएआई/रीइन्स/आर1, आईआरडीएआई/रीइन्स/आर2 तथा अनुसूची III के अंतर्गत लायड्स संस्थाओं के लिए फार्म एस-1, एस-2, एस-3 का समावेशन।

(घ) पंजीकरण प्रमाणपत्रों के निर्गम के संबंध में अनुसूची II के अंतर्गत एफआरबीएस के लिए फार्म आईआरडीएआई/रीइन्स/आर3, आईआरडीएआई/रीइन्स/आर4 तथा अनुसूची III के अंतर्गत लायड्स संस्थाओं के लिए फार्म एस-4 का समावेशन।

(ङ) लायड्स सर्विस कंपनियों और व्यवसायसंघों (सिंडिकेटों) से संबंधित पंजीकरण हेतु आवेदन के अस्वीकरण तथा पंजीकरण प्रमाणपत्र के प्रतिसंहरण के संबंध में उपबंधों की पुन:संरचना।

ये प्रस्तावित संशोधन विनियामक स्पष्टता में सुधार लाने और सांविधिक अपेक्षाओं के साथ सुसंगति को सुनिश्चित करने की अपेक्षा करते हैं।

3.3 अन्य विषय

(क) एफआरबीएस और लायड्स संस्थाओं को प्रदान किये गये पंजीकरण प्रमाणपत्रों के निलंबन या निरसन से संबंधित अतिरिक्त शर्तों को लागू करना।

(ख) `व्यवसाय अथवा एक संस्था की एक श्रेणी के व्यवसाय के किसी अन्य संस्था को अंतरण' के लिए आदेश जारी करने के लिए प्राधिकरण को शक्ति का समावेशन।

(ग) 'पुनर्बीमा संविदाओं और दावा अभिलेखों के अनुरक्षण' संबंधी उपयुक्त नीति होने की आवश्यकता से संबंधित उपबंधों का समावेशन।

ये प्रस्तावित संशोधन विनियामक स्पष्टता में सुधार लाने तथा भारत में पुनर्बीमा परिचालनों से संबंधित विनियामक ढाँचे को मजबूत करने की अपेक्षा करते हैं।

4. हितधारकों की प्रतिसूचना (फीडबैक)

प्राधिकरण प्रस्तावित संशोधनों पर हितधारकों से टिप्पणियाँ आमंत्रित करता है। विनियमों का एक्सपोज़र प्रारूप **अनुबंध 1** के अनुसार है। हितधारक उक्त एक्सपोज़र प्रारूप पर अपनी टिप्पणियाँ **अनुबंध 2** में विनिर्दिष्ट फार्मेट में प्रस्तुत करें। प्रतिसूचना (फीडबैक) सुश्री अन्नपूर्णा को Annapurna.mv@irdai.gov.in पर प्रस्तुत की जाए तथा उसकी एक प्रति सुश्री बी. अरुणा को aruna@irdai.gov.in पर 10 जुलाई, 2026 को या उससे पहले प्रेषित की जाए।

यह परामर्श-पत्र जनता और उद्योग की टिप्पणियों के लिए जारी किया जाता है।

1. The Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) proposes amendments to the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Registration and Operations of Foreign Reinsurers Branches and Lloyd's India) Regulations, 2024, in light of the changes introduced through the Sabka Bima Sabki Raksha (Amendment of Insurance Laws) Act, 2025 (SBSR Act).

Objectives of the Proposed Amendments:

2. The proposed amendments seek to align the existing regulatory framework with the revised provisions of the Insurance Act, 1938; to promote orderly growth of the reinsurance market in India; to strengthen and harmonize the current legal and regulatory framework related to reinsurance operations in India.

3. **The key amendments to the Regulations are as under:**

3.1 Definitions and Eligibility criteria: Amendments are proposed in definitions relating to 'Applicant' and their eligibility conditions for registration.

These proposed amendments seek to ensure consistency and remove interpretational ambiguities.

3.2 Registration Framework: The proposed amendments include:

(a) Reduction of requirement for having net owned funds of the applicant to rupees one thousand crore from five thousand crore.

(b) Insertion of reference to Form numbers for registration of Foreign Reinsurers Branches (FRB) and Lloyd's entities in the related provisions of the Regulations.

(c) Inclusion of Forms IRDAI/Reins/R1, IRDAI/Reins/R2 under Schedule II for registration of Foreign Reinsurers Branches (FRBs) and Forms S-1, S-2, S-3 for Lloyd's entities under Schedule III.

(d) Inclusion of Forms IRDAI/Reins/R3, IRDAI/Reins/R4 for FRBs under Schedule II and S-4 for Lloyd's entities under Schedule III relating to issue of registration certificates.

(e) Restructuring of provisions relating to rejection of application for registration and revocation of certificate of registration relating to Lloyd's Service companies and syndicates

These proposed amendments seek to improve regulatory clarity and ensure consistency with statutory requirements.

3.3 Other matters

(a) Introduction of additional conditions related to suspension or cancellation of certificate of registration granted to FRBs and Lloyd's entities.

(b) Inclusion of the power of Authority to issue orders for 'transfer of business or a class of the business of an entity to any other entity'.

(c) Inclusion of provisions related to requirement of having an appropriate policy on 'maintenance of reinsurance contracts and claims records'.

These proposed amendments seek to improve regulatory clarity and strengthen regulatory framework related to reinsurance operations in India.

4. Stakeholder Feedback

The Authority invites comments from stakeholders on the proposed amendments. Exposure draft of the Regulations is as per **Annexure 1**. Stakeholders may submit their comments on the Exposure Draft in the format specified in **Annexure 2**. Feedback may be submitted to Ms. Annapurna at annapurna.mv@irdai.gov.in with a copy to Ms. B Aruna at aruna@irdai.gov.in on or before 10th July, 2026.

This Consultation Paper is issued for public and industry comments.